सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 2, शुक्रवार, शाके 1936–मई 23, 2014
Jyaistha 2, Friday, Saka 1936–May 23, 2014

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 16 , 2014

संख्या प.20(1)अल्प.वक्फ/2014 :– वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–43), समय–समय पर यथा संशोधित, की धारा 83 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 10(2)देव./96 दिनांक 15 फरवरी, 1997 की निरन्तरता में राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन किसी वक्फ या वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या किरायेदार की बेदखली, लीजकर्ता और लीज धारक के अधिकार एवं दायित्व या अन्य विषय के अवधारंणा हेतु सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिए राजस्थान वक्फ अधिकरण का पुनर्गठन करती है, जिसे राजस्थान वक्फ अधिकरण कहा जाएगा और इसकी अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा। अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

1. राजस्थान न्यायिक सेवा का जिला जज संवर्ग का अधिकारी इस अधिकरण का अध्यक्ष होगा।
2. राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद के समकक्ष का अधिकारी अधिकरण का सदस्य होगा।
3. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुस्लम विधि व न्यायशास्त्र का ज्ञाता एक व्यक्ति अधिकरण का सदस्य होगा।

अधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा।

राज्यपाल के आदेश से,
गुरजोत कौर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
अल्पसंख्यक मामलात विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।